

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर  
सेवा पर्व पखवाड़ा अन्तर्गत ग्रामीण सेवा शिविर

ग्राम पंचायत- महापुरा

प्रकरण संख्या:- ०१५०/२५

दिनांक:- ३१/०१/२०२५

उनवान

श्री त्रिशनलाल पुग  
जोपाल लाल पाट

बनाम सरकार जरिये तहसीलदार  
चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर



:: आदेश ::

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र और उसके साथ संलग्न दस्तावेज, पहचान  
हल्का महापुरा भू. अ. नि. सारलोप एवं तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा की  
रिपोर्ट/अनुशंषा अनुसार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत  
ग्राम महापुरा प 0 ह 0 महापुरा की वर्तमान स्थायी  
जमाबन्दी के खाता संख्या 121 में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को  
निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये  
जाते हैं।

क्र. सं.	अशुद्ध प्रविष्टि का प्रकार (नाम/पिता का नाम/जाति/ग्राम का नाम/रहन आदि)	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	शुद्ध प्रविष्टि, जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है।
1.	<u>स्वपंका व पिताका नाउ कशुह</u>	<u>त्रिशन पुग जोपाल</u>	<u>त्रिशनलाल पुग जोपाल लाल पाट (शेक क्र. 121 महापुरा जमाबन्दी)</u>

10/01/25  
उपखण्ड अधिकारी  
चौथ का बरवाड़ा, (स 0 भा 0)

प्रतिलिपी :-

1. तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल कर पालना प्रस्तुत करे।
2. प्रार्थी श्री त्रिशनलाल पुग जोपाल लाल पाट

10/01/25  
उपखण्ड अधिकारी  
चौथ का बरवाड़ा अधिकारी  
चौथ का बरवाड़ा, (स 0 भा 0)

